राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 8.10.2015 को सांय 4.00 बजें आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 8.10.2015 को सांय 4.00 बजें समिति कक्ष प्रथम में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. संवत 2071 में खरीफ व रबी में अभाव अवधि की समाप्ति पश्चात गौशाला संबंधित राहत गतिविधियों के सामयिक निरीक्षण की सम्भावना नहीं रह जाने के कारण अभाव अवधि की समाप्ति दिनांक 15.07.15 के पश्चात प्राप्त होने वाले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बूंदी, नागौर, सिरोही, चूरू, झालावाड़, पाली, भरतपुर, जयपुर, राजसमंद, चूरू, अजमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही एवं झुंझुनूं जिलों के गौशाला अनुदान के प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया गया।

2. नागौर जिले से प्राप्त प्रस्ताव में जिले की गैरअभावग्रस्त गौशालाओं को विभागीय निर्देश दिनांक 16.04.2015 में निर्धारित प्रारंभिक तिथि के अनुसार ही दिए जाने का आग्रह किया है। गैर अभावग्रस्त गॉवों की गौशालाओं को अनुदान दिए जाने के विषय में विभाग द्वारा 02.06.2015 को आदेश जारी किये गये है। इस विषय में विभाग द्वारा अभावग्रस्त गॉवों की गौशालाओं को अनुदान इन गॉवों को अभावग्रस्त घोषित करने के तिथि अथवा तहसीलदार का निरीक्षण जो भी बाद में हो उस तिथि से दिया जाता है एवं गैर अभावग्रस्त गॉवों की गौशालाओं को अनुदान इस हेतु जारी किए गये आदेश (दिनांक 02.06.2015) अथवा तहसीलदार का निरीक्षण जो भी बाद में हो उस तिथि से दिया जाता है। समिति द्वारा विचार–विमर्श करने के पश्चात गैरअभावग्रस्त गांवों को निर्धारित दिनांक 02.06.015 से ही अनुदान दिये जाने का निर्णय किया गया।

3. नागौर जिले से प्राप्त प्रस्ताव में विभाग द्वारा मरूधर केसरी गौशाला रामधाम केवरियाट के लिए जारी की गयी विभागीय स्वीकृति दिनांक 15.07.2015 के पश्चात इस गौशाला के लिए बडे पशुओं की संख्या बढाये जाने के लिये जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.08.15 को अपने स्तर से स्वीकृति जारी की गयी है। समिति द्वारा कलक्टर

नागौर द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के उचित प्रमाणीकरण के अधीन कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

4. अभाव सम्वत् 2071 (वर्ष 2014–15) में 90 दिवस से अधिक अवधि की राहत गतिविधियों पर आवंटित राशि का अनुमोदन किया गया।

विचार–विमर्श के दौरान समिति के ध्यान में लाया गया कि बाड़मेर जिले को पेयजल परिवहन बजट मद में इसी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा भी राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय लिया गया संबंधित जिला कलक्टर एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश जारी किए जावें कि पेयजल परिवहन मद में राशि की स्वीकृति का दोहराव नहीं हो।

5. अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नहरों की तात्कालिक मरम्मत हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में से विभाग द्वारा स्वीकृत किए गये प्रस्तावों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

6. अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई नर्मदा नहर परियोजना के संबंध में नहर की मरम्मत हेतु जिला कलक्टर जालौर, बाड़मेर, पाली एवं सिरोही से प्राप्त प्रस्ताव नहर के बांये एवं दांये Embankment की लम्बाई की पृथक–पृथक गणना करते हुए प्रेषित किये गये है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार मध्यम एवं वृहत सिचांई परियोजना के लिये ग्रामीण सड़को को देय सहायता के अनुसार सहायता देय है अर्थात प्रति कि.मी. 60,000/– रूपये की सहायता देय है। समिति द्वारा नहर के बांये/दांये Embankment को पृथक–पृथक मानकर मरम्मत हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कर राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

7. एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के मरम्मत एवं पुर्नरूद्वार किए जाने हेतु राशि रूपये 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त ढांचा (per damaged structure) का प्रावधान किया गया है। लेकिन APPENDIX (Item no. 10) के बिन्दु संख्या 07(i) में केवल प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु प्रति भवन 1.50 लाख का प्रावधान है एवं अन्य प्रकार की विद्यालय भवनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिला कलक्टर, जालोर द्वारा क्षतिग्रस्त माध्यमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाये जा रहे है। इस संबंध में विचार–विमर्श के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राथमिक विद्यालय के लिए 1.50 लाख रूपये एवं माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत हेतु 2.00 लाख रूपये तक के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा सकते है।

8. अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण भूमि पर अनुपयुक्त मिट्टी भराव 3 इंच व उससे अधिक होने के कारण 209 गांवों के 4621 काश्तकार प्रभावित हुए है, जिनकी 1355.7442 हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इस हेतु राशि रूपये 51.48 लाख की मांग की है तथा नदी बहाव क्षेत्र बदलने से भूमि कटाव के कारण 151 गांवों के 7548 काश्तकार प्रभावित हुए है, जिनकी 1931.0801 हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इस हेतु राशि रूपये 555.87 लाख की मांग की है। अतः इस प्रकार अभी तक कुल राशि रूपये (51.48+555.87) 607.35 लाख की मांग विभाग में प्राप्त हुई है, जो एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार स्वीकृति योग्य है। प्राप्त प्रस्ताव समिति के प्रस्तुत अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए गये।

9. समिति द्वारा एसडीआरएफ में उपलब्ध बजट के अवलोकन पश्चात यह निर्णय लिया गया कि आवश्यकता पडने पर वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक किश्त की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जा सकता है।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

शासन उप सचिव

पत्रांक:एफ.1(1)(5) आ.प्र.एवं सआ/सामान्य/III/2007/12000-12 जयपुर, दिनांक 12-10-15

1. निजी सचिव, एवं उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
8. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
9. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर
10. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
11. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर
12. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
13. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर

12/10/15
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

दिनांक 08.10.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

क.सं.	नाम अधिकारी / पदनाम	हस्ताक्षर
1	G. N. SHARMA Secretary PHD	8/10/15
2	Ajitabh Sharma, Secy WRD	
3	Kunji Lal Meena Secy. Ele Education	
4	राजीव सिंह ठाकुर शासन सचिव ग्रामीण विकास	
5	J. C. Mohanty Pr. Secy PHED	
6	A. MUKHOPADHAYA ACS Home	
7	P. S Mehra PS (B)	
8	Ashok Sampatram ACS Agriculture	
9	R. C. Solanki JS-3 Rev	
10	Naresh Pal Gangwar	
11		
12		
13		
14		